न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), खलीलाबाद स्थान– बस्ती
मूलवाद सं० 338/2020
करीमुल्लाह बनाम राज्य सरकार आदि
C.N.R.No. UPBS120004172020

27.10.2020

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थनापत्र 23 ग 2 पर सुना–

वादी द्वारा प्रार्थनापत्र 23 ग 2 प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का वाद दाखिल किया है। इसलिए प्रस्तुत वाद के प्रभावी न्याय निर्णयन हेतु मौके का नक्शा नजरी एवं रिपोर्ट जरिए अदालत अमीन, मंगवाया जाना आवश्यक है।

प्रार्थनापत्र 23 ग 2 पर आपत्ति करने हेतु प्रतिवादी उपस्थित नहीं है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु संस्थित किया गया है। विवादित भूमि के सम्बन्ध में पत्रावली पर कोई नक्शा नजरी दाखिल नहीं है। न्यायालय की राय में विवादित भूमि की वस्तुस्थिति स्पष्ट करने तथा वाद के प्रभावी न्याय निर्णयन हेतु मौके की सर्वे रिपोर्ट जरिए अदालत अमीन मंगवाया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः प्रार्थनापत्र 23 ग 2 न्यायहित में स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 23 ग 2 स्वीकार किया जाता है। वादी आवश्यक पैरवी अन्दर सप्ताह करे। बाद पैरवी अदालत अमीन को परवाना जारी हो। अदालत अमीन को निर्देशित किया जाता है कि मौके पर नियमानुसार पैमाइश करके अपनी आख्या नियत तिथि तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे। पत्रावली वास्ते इन्तजार अमीन रिपोर्ट दिनांक 08.12.2020 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०)
खलीलाबाद स्थान बस्ती।
(J.O.Code UP 2289)